



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-०९/१/सा.प्र.वि./२०२५/१५६८

भिलाई, दिनांक २०.११.२५

//आदेश//

श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत पिता श्री एच.डी.राजपूत, कार्यपालन अभियंता की अधिवार्षिकी आयु दिनांक ३१.१२.२०२५ को ६२ वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम ५६ के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक ३१.१२.२०२५ अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक २०.११.२५

पृ.क्र./एफ-०९/१/सा.प्र.वि./२०२५/१५६९
प्रतिलिपि :-

१. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
२. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
३. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
४. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
५. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
६. श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत पिता श्री एच.डी.राजपूत, कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
७. कार्यपालन अभियंता भवन संधारण, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
८. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
९. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
१०. प्रभारी लिपिक पेंशन/भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
११. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
१२. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई